मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—::—

क्रमांक463/आर 601/2012/ब—1/चार भोपाल, दिनांक 11/04/2016

प्रति,

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

विषयः— नई सेवा /सेवा का नया साधन—वित्तीय सीमाओं का निर्धारण ।

संदर्भः—इस कार्यालय का पत्र क्र01242/आर 601/2012/ब—1/चार भोपाल, दिनांक 30/09/2013

—:::—

संदर्भित पत्र में नवीन मद के बारे में उल्लेख किया जाकर स्थापना, वेतनमानों का पुनरीक्षण, वाहन, कार्यालय व्यय/उपकरण, आयोग और समितियॉं, मेला अथवा प्रदर्शनी एक्स ग्रेशिया भुगतान, डिक्रीधन का भुगतान, सहायक अनुदान/अनुदान राज सहायता, कार्य, मशीनें एवं उपकरण, शासकीय कंपनियों (सार्वजनिक उपक्रमों सहित) तथा विभागीय उपक्रमों में पूंजी निवेश और दिये जाने वाले ऋण, निजी कंपनियों/उपक्रमों में पूँजीनिवेश और उन्हें दिये जाने वाले ऋण, सहकारी संस्थाओं में अंश पूंजी और/या ऋण के रूप में निवेश, म्यूनिसिपल या स्थानीय संस्थाओं को पेजयल कार्य हेतु ऋण/या अनुदान म्यूनिसिपल, पंचायत, व्यक्ति आदि को दिये गये ऋण और अग्रिम, कम्प्यूटराईजेशन परियोजना एवं नई योजनाओं/अवशिष्ट मदों की वित्तीय सीमाएँ निर्धारित की गई है । नवीन मदों हेतु निर्धारित वित्तीय सीमाओं का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाये ।

2. जो मद नवीन मद की श्रेणी में आनी चाहिए उनका विवरण पृथक से विधान सभा को सूचित किया जाना अनिवार्य है। किसी योजना में पूर्व से प्रचलित अवयवों/मदों के अतिरिक्त कोई भी नवीन अवयव /मद जोड़ा जाता है या नवीन कार्य शामिल किया जाता है तो यह नवीन अवयव/मद नवीन सेवा की श्रेणी में आयेगा एवं इसका विवरण बजट पुस्तिकाओं में पृथक से दर्शाया जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ यदि किसी योजना में 05 कार्य को चिन्हांकित किया गया है एवं इन कार्यो हेतु बजट लाइन उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में बजट लाइन होते हुये भी 05 कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य को शामिल करने की स्थिति में इसे नवीन मद के रूप में दर्शाया जाना एवं नवीन मद के लिये निर्धारित प्रकिया का पालन करना अनिवार्य है। वित्त विभाग से बजट आवंटन जारी होने के पश्चात, सक्षम वित्तीय समिति की अनुशंसा के आधार पर जारी प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति के भीतर ही व्यय किया जाये।

3. राज सहायता एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं में सर्वप्रथम गत वित्तीय वर्ष की देनदारियों का भुगतान किया जाये। उपलब्ध शेष आवंटन के आधार पर पात्रता एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जावें। किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त आवंटन विमुक्त होने या अतिरिक्त बजट प्रावधान की प्रत्याशा में अतिरिक्त लक्ष्य या दायित्व का निर्माण न किया जाये ।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अजीते

(ए0पी0श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क0464/आर 601/2012/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 11/04/2016

प्रतिलिपि:–

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभाग आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल,
प्रमुख सचिव/सचिव माननीय मुख्यमंत्री
स्टाम्फ आफीसर मुख्य सचिव
सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दोर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, भोपाल,
समस्त विभागाध्यक्ष...../बजट नियंत्रण अधिकारी की ओर पालनार्थ एवं उनके द्वारा उनके अधीनस्थ समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

मुख्यलेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल,
को सूचनार्थ अग्रेषित।

(दो) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ (लेखा परीक्षण)–1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित।

(तीन) सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित।

(उपेन्द्र शर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग